

वार्षिक प्रतिवेदन 2018-19



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी

NH-34 कनेक्टर, बसंतपुर, सगुना, पो. - घोड़ागाछा, कल्याणी
जिला- नदिया, पश्चिम बंगाल 741245



डॉ हर्षवर्धन
Dr. Harsh Vardhan
माननीय केंद्रीय मंत्री
Hon'ble Union Minister
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare



श्री अश्विनी कुमार चौबे
Sh. Ashwini Kumar Choubey
माननीय राज्य मंत्री
Hon'ble Minister of State
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
Ministry of Health & Family Welfare

तालिका

पृष्ठ

| | |
|---|---------|
| 1. अध्यक्ष का संदेश | 1 |
| 2. निदेशक का संदेश (संरक्षक संस्थान) | 2 |
| 3. संस्थापक निदेशक, एम्स कल्याणी | 3 |
| 4. “कल्याणी” शहर के बारे में | 4 |
| 5. एम्स कल्याणी के बारे में | 5 - 8 |
| 6. महत्वपूर्ण घटना क्रम | 9 - 10 |
| 7. प्रो.(डॉ) दीपिका डेका का दिनांक 17.12.2018 को एम्स कल्याणी का दौरा | 11 |
| 8. प्रो.(डॉ) दीपिका डेका का दिनांक 23.01.2019 को एम्स कल्याणी का दौरा | 12 |
| 9. अध्यक्ष का दिनांक 04.02.2019 को एम्स कल्याणी का दौरा | 13 - 14 |
| 10. कॉलेज ऑफ मेडिसन एवं JNM अस्पताल, कल्याणी का दौरा | 15 |
| 11. शैक्षणिक, रोगी सेवा एवं अन्य गतिविधियों का वृत्तांत | 16 |
| 12. लेखा: वित्तीय वर्ष 2018-19 | 17 - 56 |
| 13. लेखा परीक्षा प्रतिवेदन | 57 - 61 |

एम्स, कल्याणी

राष्ट्रीय राजमार्ग-34 कनेक्टर, बसंतपुर, सगुना, पो. - घोरागछा, कल्याणी
जिला - नारिया, पश्चिम बंगाल 741245

अध्यक्ष का संदेश



प्रो.(डॉ.) चित्रा सरकार
अध्यक्ष, एम्स कल्याणी

अध्यक्ष, एम्स कल्याणी

संसद के एक अधिनियम द्वारा भारत में स्थापित राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में से एक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), कल्याणी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत होने को मैं अपने लिए एक महान सम्मान मानती हूं। इस बड़ी जिम्मेदारी को मुझे सौंपने के लिए मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को धन्यवाद करती हूं। यह मुझे इस युवा संस्थान में "एम्स की संस्कृति" विकसित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, जिसमें मैंने 40 से अधिक वर्षों तक काम किया है।

एम्स का एक त्रिमूर्ति मिशन है - शिक्षा, सेवा और अनुसंधान और हमें इस मिशन को बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। एम्स कल्याणी परिवार के सदस्यों के रूप में, हमें इस संस्थान के निर्माण तथा इसके उद्देश्यों को प्राप्त करने के इस विशाल जिम्मेदारी को निभाने के लिए एक टीम के रूप में प्रयास करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे संयुक्त प्रयासों, समर्पण और दूरदृष्टि के साथ, हमें इस संस्थान में एक समृद्ध शैक्षणिक वातावरण और उच्च गुणवत्ता वाली रोगी देखभाल सेवा बनाने और बनाए रखने में सक्षम होंगे।

मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और PMSSY डिवीजन के साथ-साथ AIIMS कल्याणी की निदेशक, संकाय, प्रशासनिक और अन्य कर्मचारियों को हार्दिक धन्यवाद अर्पण करना चाहती हूं, जो इस संस्थान को जल्द से जल्द क्रियाशील बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। राज्य के साथ-साथ देश के लिए महान ऊचाइयों तथा यश को प्राप्त करने के लिए इस संस्थान को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रो.(डॉ.) चित्रा सरकार

एम्स अधिनियम के धारा-7(1) के द्वारा प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रो.(डॉ.) चित्रा सरकार, आचार्य (विकृति विज्ञान), डीन (अनुसंधान), एम्स, नई दिल्ली को एम्स कल्याणी के अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है, जो की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्र सरकार के अधिसूचना संख्या Z-28016/65/2017-PMSSY-IV, दिनांक 27.11.2018 द्वारा अधिसूचित किया गया।

निदेशक का संदेश



प्रो.(डॉ.) गीतांजलि पद्मनाभन

निदेशक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
भुवनेश्वर

(एम्स, कल्याणी का संरक्षक संस्थान)



संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित भारत में राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों (INI) में से एक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) कल्याणी के संरक्षक तथा निदेशक के अतिरिक्त कार्यभार बहन करने को मैं अपने लिए सम्मान की बात मानती हूँ।

किसी भी नए संस्थान को प्रारंभ करने के साथ साथ उससे जुड़े आशा, दायित्व तथा चुनौतियाँ होती हैं। संरक्षक संस्थान एम्स भुवनेश्वर के बहुत से लोगों के साथ साथ निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, पश्चिम बंगाल सरकार, कॉलेज ऑफ मेडिसन एवं JNM अस्पताल के प्रधानाचार्य, संस्थान निकाय के सदस्य गण और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकारियों के सहायता से अस्थायी परिसर को तैयार करना, संकाय सदस्यों की नियुक्ति, शैक्षणिक कार्यों का आरंभ आदि सब कुछ संभव हो पाया है। एम्स कल्याणी के लिए एक योजना बनाने और एक दृष्टि तैयार करने में एम्स कल्याणी के अध्यक्ष प्रो. चित्रा सरकार ने उदारता से अपना समय तथा उपदेश दिया है। कदाचित किसी नए एम्स के लिए यह पहला अवसर है जब प्रथम बैच के कक्षा शुरू होने से पहले संकाय सदस्यों के लिए “चिकित्सा शिक्षा के सिद्धांतों और अभ्यास” के नाम से एक संकाय विकाश कार्यक्रम आयोजित किया गया। संकाय एवं छात्रों को मैं शुभेच्छा और शुभकामनाएँ देने के साथ यह प्रार्थना करती हूँ कि वे अपने प्रयास और कठिन परिश्रम से एम्स कल्याणी का परचम सदैव लहराते रहेंगे।

प्रो.(डॉ.) गीतांजलि पद्मनाभन
निदेशक



संस्थापक निदेशक – एम्स, कल्याणी




प्रो.(डॉ.) दीपिका डेका

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रो.(डॉ.) दीपिका डेका को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के पहले निदेशक नियुक्त किया। प्रो.(डॉ.) डेका ने 29.11.2018 को एम्स, कल्याणी के संस्थापक निदेशक के स्पृष्ट में पदभार ग्रहण किया।

प्रो.(डॉ.) दीपिका डेका ने अपने कार्यकाल के दौरान, संबंधित हित धारकों और HSCC अधिकारियों के साथ एम्स कल्याणी परियोजना पर चर्चा करने के लिए नवंबर 2018 से मार्च 2019 तक एम्स, कल्याणी के कई दौरे किए। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा निदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करके प्रथम MBBS बैच शुरू करने में तथा उसके लिए कॉलेज ऑफ मेडिसन एवं JNM अस्पताल, कल्याणी में अस्थायी कार्यालय और कक्षाएँ शुरू करने में प्राथमिक पहल की।

प्रो.(डॉ.) दीपिका डेका ने 08.03.2019 को एम्स कल्याणी से प्रत्यावर्तन किया



“कल्याणी” शहर के बारे में

कल्याणी पश्चिम बंगाल राज्य में नदिया जिले का एक शहर और नगर पालिका है। यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से लगभग 50 कि.मी. दूर स्थित है। यह कल्याणी उपखंड का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह हुगली नदी के पूर्वी तट पर है।

कल्याणी एक शैक्षणिक केंद्र के स्पैसिट विकाशित हुआ है। इसमें है:-

विश्वविद्यालय: कल्याणी विश्वविद्यालय, बिधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय

केंद्रीय संस्थान:

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कल्याणी, , नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोमेडिकल जीनोमिक्स (NIBMG), भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता, कोलकाता (IISER-K) और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान (NDRI) एवं अ.भा.आ.सं. (AIIMS) कल्याणी

इंजीनियरिंग कॉलेज

कल्याणी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और दो अन्य निजी इंजीनियरिंग कॉलेज,

मेडिकल कॉलेज / अस्पताल

कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेनएम हॉस्पिटल और ईएसआई अस्पताल, कल्याणी.

यहाँ विभिन्न विधा के कुछ और राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं विकाश संस्थान हैं, जैसे - सार्वजनिक स्वास्थ्य और नीति संस्थान, कल्याणी महाविद्यालय - कल्याणी विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक साधारण डीग्री कॉलेज, सेहांशु कांता आचार्य संस्थान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूरसंचार प्रशिक्षण केंद्र, नेताजी सुभाष क्षेत्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान और राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान।




एम्स, कल्याणी के बारे में



भूमि क्षेत्रफल: 179.82 एकड़, कुल परियोजना मूल्य: 1754 करोड़
निष्पादन एजेंसी: HSCC इंडिया लिमिटेड

केंद्र मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, चतुर्थ चरण के अंतर्गत कुल परियोजना मूल्य 1754 करोड़ के साथ 07.10.2015 को एम्स, कल्याणी के स्थापना को मंजूरी दी। “भारतीय राजपत्र” में प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी 2018 के अधिसूचना के तहत एम्स अधिनियम, 1956 के धारा 3 के उप-धारा (1) के प्रावधान से प्रदत्त शक्ति को प्रोयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने एम्स कल्याणी की स्थापना की।





एम्स कल्याणी भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 24 जनवरी, 2019 के राज-पत्र अधिसूचना के जरिए अस्तित्व में आया।

इस परियोजना को निम्नलिखित 2 चरणों में लागू किया जा रहा है।

प्रथम चरण. आंतरिक विद्युतीय अनुभाग, HVAC, PHE, अग्निशम, बाह्य विकास के साथ बाह्य रोगी विभाग और आवासीय परिसर का निर्माण और दोष देयता अवधि के दौरान उनका रखरखाव

ठेकेदार – मेसर्स केएमबी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड

द्वितीय चरण. आंतरिक विद्युतीय अनुभाग, HVAC, PHE, अग्निशम, बाह्य विकास के साथ अस्पताल एवं शैक्षणिक परिसर का निर्माण और दोष देयता अवधि के दौरान उनका रखरखाव.

ठेकेदार – मेसर्स अहलूवालिया कान्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड

प्रस्तावित सुविधाएं

अस्पताल. विशेष अस्पताल और सुपर स्पैशलिटी अस्पताल, ट्रामा सेंटर, आयुष केंद्र, सहायता सेवाएं और सम्बद्ध सुविधाएं, रैन बसेरा एवं सम्बद्ध सुविधाएं।

संस्थागत (शिक्षण). शिक्षण ब्लॉक, प्रशासनिक ब्लॉक, सभागार, नर्सिंग कॉलेज,

आवासीय. विभिन्न प्रकार के आवास- प्रकार II, III, IV & V, अतिथि गृह, निदेशक बंगला, पीजी/युजी पुस्त और महिला छानावास, नर्सिंग छानावास, आदि।

विभाग:

100 MBBS छात्रों के बैच के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिए मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के आवश्यकता के अनुसार-

विशेष विभाग: शिक्षण ब्लॉक

1. मानव शरीर संरचना विज्ञान
2. मानव शरीर क्रिया विज्ञान
3. जैवरसायन
4. विकृति विज्ञान (रक्त कोष सहित)
5. किटाणु विज्ञान
6. औषध विज्ञान
7. विष विज्ञान सहित फौरेंसिक चिकित्सा
8. सामुदायिक चिकित्सा एवं पारिवारिक चिकित्सा

विशेषता विभाग – अस्पताल ब्लॉक

1. शल्य चिकित्सा
2. सामान्य चिकित्सा
3. बाल रोग
4. अस्थिरोग
5. नेत्र विज्ञान
6. मानसिक रोग
7. त्वचा विज्ञान
8. नाक, कान, गला
9. स्त्री एवं प्रसूति
10. भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास
11. दंत चिकित्सा
12. श्वास रोग
13. विकिरण विज्ञान
14. निश्चेतना विभाग
15. आधान चिकित्सा (रक्त कोष)

सुपर स्पैशलिटी विभाग

1. हृदय रोग
2. हृदय-बक्ष संवहनी शल्य चिकित्सा
3. तंत्रिका विज्ञान
4. तंत्रिका शल्य चिकित्सा
5. जठरान्ब्र विज्ञान
6. जठरान्ब्र शल्य चिकित्सा
7. कर्करोग शल्य चिकित्सा
8. कर्करोग चिकित्सा विज्ञान
10. बाल रोग शल्य चिकित्सा
11. मूत्र रोग चिकित्सा
12. अंतःस्नाव-विज्ञान
13. नैदानिक रुधिर विज्ञान
14. जलन एवं प्लास्टिक शल्य चिकित्सा

अन्य प्रतिष्ठान

ट्रामा सेंटर

आयुष केंद्र

नर्सिंग कॉलेज (50 छात्रों के साथ आरंभ, 100 के लिए विस्तारयोग्य)

रैन बसेरा, अतिथि गृह, पशु घर आदि।



महत्वपूर्ण घटना क्रम

एम्स कल्याणी की स्थापना: केंद्र मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, चतुर्थ चरण के अंतर्गत कुल परियोजना मूल्य 1754 करोड़ के साथ 07.10.2015 को एम्स अधिनियम, 1956 के धारा 3 के उप-धारा (1) के प्रावधान से प्रदत्त शक्ति को प्रयोग करते हुए एम्स, कल्याणी के स्थापना को मंजूरी दी। “भारतीय राजपत्र” में प्रकाशित दिनांक 24 जनवरी 2018 के अधिसूचना के तहत केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य के कल्याणी में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की स्थापना की।

संरक्षक संस्थान का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (PMSSY प्रभाग) अधिसूचना: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 5 नवंबर 2018 के अधिसूचना के तहत एम्स भुवनेश्वर को संरक्षक संस्थान के रूप में मनोनीत किया।

एम्स, कल्याणी के अध्यक्ष का मनोनयन. अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 की 25) की धारा 7 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 27 नवंबर, 2018 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी के अध्यक्ष के रूप में प्रो.(डॉ.) चित्रा सरकार, आचार्य, पैथोलॉजी, डीन (अनुसंधान), एम्स, नई दिल्ली को मनोनीत किया।

एम्स, कल्याणी के प्रथम निदेशक का पदभार ग्रहण. 29 नवंबर 2018 को प्रो.(डॉ.) दीपिका डेका ने एम्स, कल्याणी के पहले निदेशक का कार्यभार संभाला।



शैक्षणिक वर्ष 2019 के लिए MBBS प्रथम बैच शुरू करने हेतु कॉलेज ऑफ मेडिसिन एवं JNM अस्पताल (COMJNMH) में अस्थायी परिसर के स्थापना का निर्णयः

(क) 06 दिसम्बर, 2018 को प्रो.(डॉ.) दीपिका डेका ने चिकित्सा शिक्षा निदेशक के कार्यालय का दौरा किया। बैठक में माननीय कुलपति WBUHS, अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल सरकार, विशेष सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पश्चिम बंगाल सरकार एवं कॉलेज ऑफ मेडिसिन एंड जेएनएम हॉस्पिटल (COMJNMH), कल्याणी के प्राचार्य उपस्थित थे। बैठक के दौरान COMJNMH में MBBS के प्रथम कार्यक्रम के लिए अस्थायी कार्यालय और कक्षाओं को शुरू करने का रूपरेखा तय किया गया। एम्स, कल्याणी का पहला दौरा.

(ख) 08 दिसम्बर, 2018 को प्रो.(डॉ.) दीपिका डेका, निदेशक, एम्स कल्याणी ने COMJNMH का दौरा किया। इसके दौरान प्रो.(डॉ.) डेका ने COMJNMH के प्राचार्य से बातचीत की। इस बैठक में डीन (छात्र मामले), MSVP, उप अधीक्षक एवं सामुदायिक चिकित्सा के सह-आचार्य मौजूद थे।

संकाय/सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर पदों के लिए विज्ञापन. 22 जनवरी 2019 को एम्स, भुवनेश्वर, एम्स कल्याणी के संरक्षक संस्थान होने के नाते कुल 19 विभागों के लिए आचार्य, अतिरिक्त आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य, सीनियर रेजिडेंट और ट्यूटर के लिए विज्ञापन प्रकाशित किया। कुल आचार्य के 19 पद, अतिरिक्त आचार्य के 13 पद, सह आचार्य के 15 पद, सहायक आचार्य के 38 पद, सीनियर रेजिडेंट के 8 पद और ट्यूटर के 8 पद प्रकाशित किए गए। कुल 101 पद विज्ञापित किए गए।

एम्स कल्याणी परियोजना स्थल और COMJNMH, कल्याणी में अध्यक्ष का दौरा. 04 फरवरी 2019 को एम्स कल्याणी के अध्यक्ष डॉ. चित्रा सरकार, एम्स कल्याणी के निदेशक डॉ. दीपिका डेका, एम्स भुवनेश्वर के निदेशक डॉ. गीतांजलि पद्मनाभन (एम्स कल्याणी के संरक्षक संस्थान के निदेशक) और एम्स भुवनेश्वर के उप निदेशक श्री पी के राय ने एम्स कल्याणी परियोजना स्थल का दौरा किया। तत्पश्चात सभी ने COMJNMH, कल्याणी का दौरा किया और एम्स कल्याणी की स्थापना, COMJNMH, कल्याणी में अस्थायी कार्यालय और एम्स के शैक्षणिक वर्ष 2019 से MBBS कार्यक्रम की पहली साल की कक्षाएँ COMJNMH, कल्याणी में आरंभ करने की प्रारम्भिक योजना सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया।

एम्स कल्याणी के प्रथम निदेशक का प्रत्यावर्तन. डॉ. दीपिका डेका को 08 मार्च 2019 को एम्स कल्याणी से प्रत्यावर्तित किया गया।



प्रो.(डॉ) दीपिका डेका, निदेशक, एम्स कल्याणी, दिनांक
17.12.2018 को एम्स कल्याणी परियोजना स्थल के
आगमन के दौरान HSCC अधिकारियों के साथ विमर्श
करते हुए





प्रो.(डॉ.) दीपिका डेका, निदेशक, एम्स कल्याणी, दिनांक
23.01.2019 को अपने एम्स कल्याणी परियोजना स्थल
के आगमन के दौरान श्री शिवन्ना, GM (परियोजना) एवं
श्री संजीव खरे, DGM, HSCC (भारत) के साथ विमर्श

करते हुए





दिनांक 04.02.2019 को प्रो.(डॉ.) चित्रा सरकार, अध्यक्ष,
एम्स कल्याणी, प्रो.(डॉ.) दीपिका डेका, निदेशक, एम्स
कल्याणी एवं प्रो.(डॉ.) गीतांजलि पद्मनाभन, निदेशक, एम्स
भुवनेश्वर (निदेशक, संरक्षक संस्थान, एम्स कल्याणी) के
एम्स कल्याणी परियोजना स्थल का निरीक्षण





श्री संजीव खरे, DGM, HSCC (India) Ltd. प्रो.(डॉ.) चित्रा सरकार, अध्यक्ष, एम्स कल्याणी, प्रो.(डॉ.) दीपिका डेका, निदेशक, एम्स कल्याणी एवं प्रो.(डॉ.) गीतांजलि पद्मनाभन, निदेशक, एम्स भुवनेश्वर (निदेशक, संरक्षक संस्थान, एम्स कल्याणी) एवं श्री पी. के. राय, उपनिदेशक, एम्स भुवनेश्वर को वाह्य रोगी विभाग भवन के निर्माण प्रक्रिया के घटनाक्रम से अवगत कराते हुए



आंतरिक रोगी विभाग, एम्स कल्याणी का भवन निर्माण कार्य



कैम्प ऑफिस, कॉलेज ऑफ मेडिसन एवं जे. एन. एम. अस्पताल



शैक्षणिक, रोगी सेवा तथा अन्य गतिविधियों का वृतांत

2018-19 के वित्तीय वर्ष में एम्स कल्याणी के भवन निर्माण हुआ। तथापि, उक्त अवधि के दौरान कोई कार्यालय स्थापित नहीं किया गया था और इसलिए कार्मिकों के वेतन पर व्यय शून्य था।


इस विवरणी में उल्लेखित अवधि के दौरान एम्स कल्याणी के पास संस्थान निकाय, शासी निकाय, स्थायी वित्त समिति नहीं, स्थायी चयन समिति एवं शैक्षिक समिति नहीं हैं।


अस्पताल/ रोगियों की देखभाल सेवा एवं MBBS कोर्स के अंतर्गत शिक्षा तथा प्रशिक्षण का कार्य वित्तीय वर्ष 2018-2019 में शुरू नहीं हुआ था।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी

NH-34 कनेक्टर, बसंतपुर, सगुना, पो. – घोड़ागाछा, कल्याणी
जिला- नदिया, पश्चिम बंगाल 741245

दूरभाष : 033-29516001-08





लेखा वित्तीय वर्ष 2018-19

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)
कल्याणी

बसंतपुर, घोरागाछा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल


31 मार्च, 2019 को तुलना पत्र

(रुपये में)

| विवरण | अनुसूची | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|---|---------|-------------------------|----------------------|
| कोष/पंजी निधि और देनदारियाँ: | | | |
| पंजी निधि | 1 | 266,711,734.00 | - |
| आरक्षित और अधिशेष | 2 | - | - |
| चिह्नित / बन्दोबस्ती निधि | 3 | - | - |
| मुरक्कित क्रण और उधार राशियाँ | 4 | 1,324,931,218.00 | - |
| असुरक्षित क्रण और उधार राशियाँ | 5 | - | - |
| स्थगित क्रण दायित्व | 6 | - | - |
| वर्तमान देयताएँ और प्रावधान | 7 | - | - |
| कुल: | | 1,591,642,952.00 | - |
| संपत्ति: | | | |
| अचल संपत्तियाँ | 8 | 1,320,942,832.00 | - |
| चिह्नित / बन्दोबस्ती निधि से निवेश | 9 | - | - |
| अन्य निवेश | 10 | - | - |
| वर्तमान संपत्ति, क्रण, अग्रिम इत्यादि | 11 | 270,700,120.00 | - |
| विविध व्यय | | | |
| (जो बट्टे खाते में डाला या समायोजित नहीं किया गया) | | | |
| कुल: | | 1,591,642,952.00 | - |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 24 | | |
| सांघोगिक देयताएँ और हिसाब किताबों पर टिप्पणियाँ | 25 | | |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२०१८
वित्तीय सलाहकार


निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढ़ा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल


31 मार्च, 2019 तक के समयसीमा / वर्ष की समाप्ति के लिए आय और व्यय खाता


(रुपये में)

| विवरण | अनुसूची | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|--|---------|-----------------------|----------------------|
| आय | | | |
| बिक्री / सेवाओं से आय | 12 | | |
| अनुदान / अनुवृत्ति | 13* | 272,900,000.00 | - |
| शुल्क / सदस्यता | 14* | - | - |
| निवेश से आय (निर्धारित / बन्दोबस्ती निधि से स्थानांतरित राशि के निवेश से आय) | 15 | - | - |
| अधिशुल्क, प्रकाशन आदि से आय। | 16 | - | - |
| अजित ब्याज | 17* | - | - |
| अन्य आय | 18* | - | - |
| अर्धनिर्भित उत्पादन पर पूर्ण उत्पाद के भण्डार में वृद्धि / गिरावट | 19 | - | |
| कुल (A) | | 272,900,000.00 | - |
| व्यय | | | |
| स्थापना व्यय | 20* | 1,079,055.00 | - |
| अन्य प्रशासनिक व्यय आदि | 21* | 1,120,825.00 | - |
| अनुदान, अनुवृत्ति आदि पर व्यय | 22* | - | - |
| ब्याज | 23 | 3,988,386.00 | |
| मूल्यहास (वर्ष के अंत में अनुसूची 8 के अनुस्प पश्च जोड़) | | - | |
| कुल (B) | | 6,188,266.00 | - |
| व्यय से अधिक आय का संतुलन होना (A-B) | | 266,711,734.00 | - |
| पदक के लिए अंतरण निधि में स्थानांतरण | | - | - |
| सामान्य पृथकृत राशि से / के लिए स्थानांतरण | | - | - |
| देय राशि आधिक्य/(न्यूनता) होने पर पूंजीगत निधि में ले जाया गया | | 266,711,734.00 | - |
| महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ | 24 | | |
| सांयोगिक देयताएं और हिसाब किताबों पर टिप्पणियाँ | 25 | | |

ध्यान दें: “*” ये अनुसूची आय और व्यय विवरणों में वस्तुओं को दर्शाते हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,


वित्तीय सलाहकार


निदेशक

अधिकारी भारतीय आयोगीजन संस्थान, कल्याणी
बसतपुर, घोरामाडा, कल्याणी, परिचम बंगाल

31 मार्च, 2019 तक के समयसीमा / वर्ष की समाप्ति के लिए रही हैं और भूगतान

(अपयोग में)

| प्राप्तियाँ | अनुसूची | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) | भूगतान | अनुसूची | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|---|---------|---------------------|----------------------|----------------------|---------|---------------------|----------------------|
| I. प्रारंभिक शेष | | | | I. उद्यम | | | |
| a) हाथ में नकद | | | | a) स्थापना उद्यम | 20 | 1,079,055.00 | |
| b) बैंक में जमा राशि | | | | b) प्रासादानुक उद्यम | 21 | 1,120,825.00 | |
| केनरा बैंक A/c-4914101001542 | | | | | | | |
| केनरा बैंक A/c-4914101001544 | | | | | | | |
| II. अनुदान प्राप्त करा | | | | | | | |
| a) भारत सरकार की ओर से | | | | | | | |
| पंजी | | | | | | | |
| राजस्व | 13 | | | | | | |
| b) राज्य सरकार से | | | | | | | |
| ग) अन्य स्रोतों से | | | | | | | |
| | 13 | 272,900,000.00 | | | | | |
| III. निवेश पर आयः | | | | | | | |
| a) विहित / बंदोबस्ती निधि | | | | | | | |
| i) छाव दिवारी कोष | | | | | | | |
| ii) छावों से जमानती राशि | | | | | | | |
| iii) बंदोबस्ती निधि से बाहर ब्याज - गोल्ड मेडल | 15 | | | | | | |
| b) खुद के राशि (निवेश के असाधा) | | | | | | | |
| c) अनुसंधान अनुदान - अपवाहन | | | | | | | |
| d) सीएमडी राशि- लंबित उपयोग | | | | | | | |
| e) बाहरी एजेंसियाँ- लंबित उपयोग | | | | | | | |
| IV. ब्याज प्राप्त किया | | | | | | | |
| a) बैंक जमा पर | 17 | | | | | | |
| V. अन्य आय (विविधता) | | | | | | | |
| a) आवेदन शुल्क | 14 | | | | | | |
| b) परीक्षा शुल्क (छाव) | 14 | | | | | | |
| c) परीक्षा शुल्क | 14 | | | | | | |
| d) अन्य शुल्क | 14 | | | | | | |
| VI. उपार जी गई राशि / अधिक केन्द्रीय से है, एम.डी. | 18 | 272,900,000.00 | - | | | | |
| VII. कोई अन्य रद्दी | | | | | | | |
| कल: | | | | कल: | | | |
| | | | | | | 272,900,000.00 | |
| | | | | | | | |

25/3/17
वित्तीय सलाहकार

अधिकारी भारतीय आयोगीजन संस्थान कल्याणी की ओर से,

Rajesh
निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

31 मार्च, 2019 तक तुलन पत्र के अनुसूची गठन के अंश

अनुसूची -1 का व्योरा : कोष / पूँजीगत निधि

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) (रुपये में) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|--|------------------------------------|--|
| 01.04.2018 को वर्षारंभ में शेष राशि जोड़ें: कोष / पूँजीगत निधि की ओर योगदान जोड़ें / (घटाएँ): आय और व्यय खाते से हस्तांतरित शुद्ध आय / व्यय का संतुलन | - - 266,711,734.00 | - - - |
| वर्ष के अंत में शेष राशि | 266,711,734.00 | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

वित्तीय सलाहकार

निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढ़ा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -2 का व्योरा : आरक्षित तथा आधिक्य

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) (रुपये में) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|---|------------------------------------|--|
| 1. संपत्ति कोषः पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ कम: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| 2. पुनर्मूल्यांकन कोषः पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ कम: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| 3. विशेष कोषः पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ कम: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| 4. साधारण कोषः पिछले खाते के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ कम: वर्ष के दौरान कटौती | | |
| कुलः | | |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

१०८/१०८
वित्तीय सलाहकार


निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाडा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -3 का व्योरा : निधि / बंदोबस्ती कोष

| विवरण | निधि-वार विभाजन | कुल | |
|---|-----------------|---------------------|----------------------|
| | पदक के लिए राशि | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
| a) राशि के प्रारंभिक शेष | | - | - |
| b) निधियों का जोड़ : | | - | - |
| i. दान / अनुदान | | - | - |
| ii. धन के खाते में किए गए निवेश से आय | | - | - |
| iii. अन्य परिवर्धन (प्रकृति निर्दिष्ट करें) | | - | - |
| स्वर्ण पदक के लिए बंदोबस्ती निधि से ब्याज | | - | - |
| कुल: (a+b) | | - | - |
| c) धन के उद्देश्यों के लिए उपयोग / व्यय | | - | - |
| i. पूँजीगत व्यय | | - | - |
| - अचल सम्पत्ति | | - | - |
| - अन्य | | - | - |
| कुल | | - | - |
| ii. राजस्व व्यय | | - | - |
| - वेतन, मेहनताना और भत्ते आदि। | | - | - |
| - किराया | | - | - |
| - अन्य प्रशासनिक उपयोगिताएँ | | - | - |
| कुल | | - | - |
| कुल: c | | - | - |
| वर्ष के अंत में शुद्ध बकाया (ए + बी-सी) | | - | - |
| टिप्पणियाँ | | | |
| 1) अनुदानों से जुड़ी शर्तों पर संबंधित प्रमुख विद्युओं पर खुलासे किए जाएंगे | | | |
| 2) केंद्र / राज्य सरकारों से प्राप्त योजना निधि को अलग निधि के रूप में दिखाया जाएगा और किसी भी अन्य निधि के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा | | | |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२५/११८

वित्तीय सलाहकार


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाडा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -4 का व्यौरा : सुरक्षित क्रृष्ण और उधार राशियाँ

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) (रुपये में) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1. केंद्र सरकार | | |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | | |
| 3. वित्तीय संस्थान | | |
| a) सावधि क्रृष्ण | 1,324,931,218.00 | 1,324,931,218.00 |
| b) ब्याज अर्जित तथा देय | | |
| 4. बैंक | | |
| a) सावधि क्रृष्ण | | |
| -ब्याज अर्जित तथा देय | | |
| b) अन्य क्रृष्ण (निर्दिष्ट करें) | | |
| - ब्याज अर्जित तथा देय | | |
| 5. अन्य संस्थान और एजेंसियाँ | | |
| 6. डिबेचर और बॉन्ड | | |
| 7. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| कुल | 1,324,931,218.00 | |
| ध्यान दें: एक वर्ष के अंतर | | |
| बकाया राशि | | |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,


वित्तीय सलाहकार



निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -5 का व्योरा : असुरक्षित क्रृण और उधार राशियां

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| 1. केंद्र सरकार | | |
| 2. राज्य सरकार (निर्दिष्ट करें) | | |
| 3. वित्तीय संस्थान | | |
| 4. बैंकः | | |
| a) सावधि क्रृण | | |
| बी) अन्य क्रृण (निर्दिष्ट) | | |
| 5. अन्य संस्थान और एजेंसियां | | |
| 6. डिबंगर और बॉन्ड | | |
| 7. सावधि जमा | | |
| 8. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| कुलः | | |
| ध्यान दें: एक वर्ष के भीतर बकाया राशि | | |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,


वित्तीय सलाहकार


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाछा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -6 का व्यौरा : स्थगित क्रृण उत्तरदायित्व

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|---|------------------------|-------------------------------------|
| क) पूँजीगत उपकरणों और अन्य परिसंपत्तियों के गिरवी द्वारा सुरक्षित स्वीकृति b) अन्य | | |
| कुल: | | |
| <u>ध्यान दें: एक वर्ष के भीतर बकाया राशि</u> | | |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२८/१८/१८
वित्तीय सलाहकार


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाडा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -7 का व्यौरा : वर्तमान देयताएँ और प्रावधान

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | | पिछला वर्ष (2017-18) | |
|---|---------------------|-------------|----------------------|-------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) | (रुपये में) | (रुपये में) |
| A वर्तमान देयताएँ | | | | |
| 1. स्वीकृति | | | | |
| 2. विविध लेनदारों: | | | | |
| ए) माल के लिए | | | | |
| ब) अन्य | | | | |
| 3. अग्रिम प्राप्ति | | | | |
| 4. व्याज अर्जित किया गया है, परंतु देय नहीं | | | | |
| a) सुरक्षित छूट / उधार | | | | |
| ख) असुरक्षित छूट / उधार | | | | |
| 5. वैधानिक दायित्व: | | | | |
| क) अतिदेय | | | | |
| ब) अन्य | | | | |
| 6. अन्य वर्तमान देयताएँ | | | | |
| कुल: (A) | | | | |
| B. प्रावधान | | | | |
| 1. कराधान के लिए | | | | |
| 2. आनुतोषिक | | | | |
| 3. सेवानिवृत / पेंशन | | | | |
| 4. संचित अवकाश नकटीकरण | | | | |
| 5. व्यापार आश्वस्तियाँ / दावे | | | | |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | | | |
| कुल: (B) | | | | |
| कुल: (A+B) | | | | |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२०१८
वित्तीय सलाहकार


निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञन संस्थान, कन्याकूमारी
बंगलपुर, घोरागाढ़ा, कन्याकूमारी, परिचम बंगल

अनसदी -४ का व्योरा : स्थायी सम्पत्तियाँ

| वर्णन | GROSS BLOCK (रुपये में) | | | | | भूमध्यसंगति (रुपये में) | | | भूपृष्ठ कल संपत्तियाँ | | |
|--------------------------------|-------------------------|---|---------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | भूमध्यसंगति की दर | वर्ष की भूमध्यसंगति में सामग्री / मूल्य | वर्ष की दीर्घन ओड़े | वर्ष के दीर्घन कटीती | वर्ष के अंत में सामग्री / मूल्य | वर्ष की भूमध्यसंगति में | वर्ष के दीर्घन अधिकारित और उद्दायान पर | वर्ष के दीर्घन कटीती पर | सामग्री के अंत तक कृत | वर्तमान वर्ष के अंत में | रिक्तांश वर्ष के अंत तक |
| अधिक संपत्तियाँ: | | | | | | | | | | | |
| भूमि | | | | | | | | | | | |
| a) पूरी समिलित बी) पर्टटोटी | 0% 0% | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| c) एपी स्वामिलित भूमि पर | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| d) पर्टटोटी भूमि पर | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| e) स्वामिलित भूमि/परिसर | 0% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| जीवन सहायता और उपकरण | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| वर्ष का कल (V) | | | | | | | | | | | |
| पूरी वर्ष का कल - पर्टटोटी पर | | | | | | | | | | | |
| निम्नांग करवी | | | | | | | | | | | |
| f) निम्नांग करवी | | | | | | | | | | | |
| HITES से उपलब्धी के लिए | | | | | | | | | | | |
| वर्ष का कल (V) | | 920,000,000.00 | | | 920,000,000.00 | - | - | - | - | 920,000,000.00 | - |
| वर्ष का कल (V + बी) | | 400,942,832.00 | | | 400,942,832.00 | - | - | - | - | 400,942,832.00 | - |
| वर्ष का कल (V + बी + c) | | - | 1,320,942,832.00 | | - | 1,320,942,832.00 | - | - | - | 1,320,942,832.00 | - |
| वर्ष का कल (V + बी + d) | | - | 1,320,942,832.00 | | - | 1,320,942,832.00 | - | - | - | 1,320,942,832.00 | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से

२०१८

का जारी है


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाडा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -9 का व्योरा : चिन्हित किया गया राशि / बंदोबस्ती से निवेश

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूति 3. शेयर 4. डिबेंचर और बॉन्ड 5. सहायक और संयुक्त उद्यम 6. बैंक ऑफ इंडिया के साथ सावधि जमा | - | - |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,


वित्तीय सलाहकार


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -10 का व्योरा : अन्य निदेश

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|--|------------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| 1. सरकारी प्रतिभूतियों में 2. अन्य स्वीकृत प्रतिभूति 3. शेयर 4. डिबेंचर और बॉन्ड 5. सहायक और संयुक्त उद्यम 6. अन्य (निर्दिष्ट करना है) | | |
| कुल | | |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२०१८/१९
वित्तीय सलाहकार


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढ़ा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसंधान -11 का व्योरा : वर्तमान संपत्ति, क्रूण, अग्रिम इत्यादि

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) (रुपये में) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| A. वर्तमान संपत्ति: | | |
| 1. सूची: | | |
| a) भंडार एवं पुर्जे | - | - |
| b) ढीले उपकरण | - | - |
| c) कारोबार माल | - | - |
| तैयार माल कार्य प्रगति पर है कच्चा माल | | |
| 2. विविध देनदार: | | |
| a) छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया क्रूण | - | - |
| b) अन्य | - | - |
| 3. हाथ में नकद राशि (बैंक / ड्राफ्ट एवं अग्रदाय सहित) | - | - |
| 4. बैंक राशि: | | |
| क) अनुसूचित बैंकों के साथ: | | |
| चालू - एक्सेक्यूटिव बैंक (ऑटो स्वीप) | | |
| केनरा बैंक A / c-4914101001542 | 7,190,120.00 | |
| केनरा बैंक A / c-4914101001544 | 263,500,000.00 | |
| | 270,690,120.00 | 270,690,120.00 |
| ख) गैर-अनुसूचित बैंक के साथ: | | |
| -चालू खाता पर | | |
| -जमा खाता पर | | |
| -बचत खाता पर | | |
| 5. अन्य प्राप्य | | |
| कल (A) | 270,690,120.00 | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२३/१०/१८
वित्तीय सलाहकार


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढ़ा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -11 का व्यौरा: वर्तमान संपत्ति, क्रण, अधिगम इत्यादि (अविच्छिन्नत)

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) (रुपये में) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) | |
|---|------------------------------------|--|--|
| | | | |
| B. क्रण, अधिगम और अन्य संपत्ति | | | |
| 1. क्रण: | | | |
| a) कर्मचारी | | | |
| b) अन्य वस्तुएं जो गतिविधियों में हैं / वस्तुओं के समान उद्देश्य | | | |
| c) अन्य (निर्दिष्ट) | | | |
| 2. नकद में या नकद की तरह या प्राप्त किए जाने वाले मूल्य के लिए अधिगम तथा अन्य वसूली योग्य राशियाँ | | | |
| a) पूँजी खातों पर (अन्य पक्षों के लिए अधिगम) - अनुबंध- A | | | |
| b) पूर्व भुगतान | | | |
| c) अन्य: | | | |
| व्यय के लिए अधिगम (कर्मचारी) - अनुबंध-B | 10,000.00 | | |
| अन्य पक्षों को अधिगम - अनुबंध - C | - | | |
| सुरक्षा जमा - अनुबंध - D | - | | |
| 3. अर्जित आय: | | | |
| a) चिह्नित / बंदोबस्ती निधि से निवेश पर | | | |
| b) निवेश पर -अन्य | | | |
| c) बैंक के पास जमा राशि पर | | | |
| d) बैंक से किराए पर | | | |
| 4. दावा योग्य | | | |
| कुल (B) | 10,000.00 | | |
| कुल (A+B) | 270,700,120.00 | | |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

27/01/2018
वित्तीय सलाहकार


निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाठा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुबंध A से अनुसूची-11 का व्योरा : अन्य पक्षों के लिए अग्रिम

| पक्षों का नाम | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| CPWD को अग्रिम | - | - |
| a) राज्य पीएच डिवीजन को अग्रिम | - | - |
| b) | - | - |
| कुल | - | - |

अनुबंध-B से अनुसूची 11 का व्योरा: कर्मचारियों को अग्रिम

| पक्षों का नाम | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| 1 डॉ मनोज कुमार मोहन्ती | 10,000.00 | - |
| कुल | 10,000.00 | - |

DETAILS OF ANNEXURE-C TO SCHEDULE 11: ADVANCE TO OTHER PARTIES

| पक्षों का नाम | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| कुल | - | - |

अनुसूची -१ के विवरण ११: सुरक्षा जमा

| पक्षों का नाम | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| कुल | - | - |

2-01/11/18

वित्तीय सलाहकार

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाडा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुबंध A से अनुसूची -11 का व्योरा : अन्य पक्षों के लिए अधिम

| पक्षों का नाम | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| CPWD को अधिम | | |
| a) राज्य पीएच डिवीजन को अधिम | | |
| b) | - | - |
| कुल | - | - |

अनुबंध-B से अनुसूची 11 का व्योरा: कर्मचारियों को अधिम

| पक्षों का नाम | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| 1 डॉ मनोज कुमार मोहन्ती | 10,000.00 | - |
| कुल | 10,000.00 | - |

DETAILS OF ANNEXURE-C TO SCHEDULE 11: ADVANCE TO OTHER PARTIES

| पक्षों का नाम | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| कुल | - | - |

अनुसूची -१ के विवरण ११: सुरक्षा जमा

| पक्षों का नाम | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|---------------|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| कुल | - | - |

2-७/११८

वित्तीय सलाहकार

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरगाढ़ा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -12 का व्योरा: बिक्री / सेवा से प्राप्त आय

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|--|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| 1. बिक्री से आय: | | |
| क) तैयार माल की बिक्री ख) कच्चे माल की बिक्री ग) रद्दी माल की बिक्री | | |
| 2. सेवाओं से आय: | | |
| क) श्रम और प्रसंस्करण शुल्क बी) पेशेवर / परामर्श सेवाएं ग) एजेंसी आयोग और दलाली डी) रखरखाव सेवाएं (उपकरण / संपत्ति) ई) अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

वित्तीय सलाहकार

निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, परिचम बंगाल

अनुसूची -13 का व्योरा : अनुदान / अनुवृत्ति

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|--|--------------------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| (अपरिवर्तनीय अनुदान एवं प्राप्त सब्सिडी) | | |
| 1. केंद्र सरकार पूँजी अनुदान राजस्व अनुदान-वेतन राजस्व अनुदान-सामान्य | 5,800,000.00 267,100,000.00 | - - |
| 2. राज्य सरकार | | |
| 3. सरकारी एजेंसियां | | |
| 4. संस्थान / कल्याण निकाय | | |
| 5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन | | |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| a) प्राप्त अनुदान राशि | - | - |
| b) प्राप्त सहायक राशि | - | - |
| कुल | 272,900,000.00 | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२५/१८
विनीय सलाहकार


निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, परिचम बंगाल

अनुसूची -13* का व्योरा : अनुदान / अनुवृत्ति

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|---|-----------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| (अपरिवर्तनीय अनुदान और सब्सिडी प्राप्त) | | |
| 1. केंद्र सरकार | | |
| राजस्व अनुदान-वेतन | 5,800,000.00 | - |
| राजस्व अनुदान-सामान्य | 267,100,000.00 | - |
| 2. राज्य सरकार | | |
| 3. सरकारी एजेंसियां | | |
| 4. संस्थान / कल्याण निकाय | | |
| 5. अंतर्राष्ट्रीय संगठन | | |
| 6. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| a) अनुदान राशि प्राप्त हुई | | |
| | - | - |
| | - | - |
| | - | - |
| कुल | 272,900,000.00 | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

वित्तीय सलाहकार

निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाडा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -14 का व्योरा : शुल्क / सदस्यताएँ

| विवरण | चालू वर्ष (2018- 19) | पिछला वर्ष (2017- 18) |
|--|-------------------------|--------------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| 1. आवेदन शुल्क | - | - |
| 2. प्रवेश शुल्क (छात्र) | - | - |
| 3. परीक्षा शुल्क | - | - |
| 4. जुर्माना संग्रह | - | - |
| 5. पुनः प्रवेश शुल्क | - | - |
| 6. मध्यावधि के दौरान पाठ्यक्रम छोड़ने का दंड | - | - |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

20/01/18

वित्तीय सलाहकार

निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -14* का व्योरा : शुल्क / सदस्यताएँ

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|--|---------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| 1. आवेदन शुल्क | - | - |
| 2. प्रवेश शुल्क (छात्र) | - | - |
| 3. परीक्षा शुल्क | - | - |
| 4. जुर्माना संग्रह | - | - |
| 5. पुनः प्रवेश शुल्क | - | - |
| 6. मध्यावधि के दौरान पाठ्यक्रम छोड़ने का दंड | - | - |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२०१८
वित्तीय सलाहकार


निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -15 का व्योरा : निवेश से आय

| विवरण | निर्धारित राशि से निवेश | | निवेश-दूसरों | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
| (चिह्नित / बंदोबस्ती राशि से निधियों को स्थानांतरित निवेश पर आय) | | | | |
| 1. व्याज | | | | |
| a) सरकारी प्रतिभूति पर | | | | |
| b) अन्य बांड / डिब्बेचर | | | | |
| c) विगत वर्ष तक निश्चित जमा पर | - | | | |
| d) निश्चित जमा-चालू वर्ष पर | | | | |
| 2. लाभांशः | | | | |
| क) शेयरों पर | | | | |
| ब) म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज पर | | | | |
| 3. किराए | | | | |
| 4. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | | | |
| कुल | - | - | - | - |
| नामांकित / अंतरण कार्यों के लिए हस्तांतरित | | | | |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

वित्तीय सलाहकार


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -15* का व्योरा: निवेश से आय

| विवरण | Investment from Earmarked Fund | | Investment-Others | |
|---|--------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
| (चिह्नित / बंदोबस्ती राशि से निधियों को स्थानांतरित निवेश पर आय) | | | | |
| 1. व्याज | | | | |
| a) सरकार पर। प्रतिभूति | | | | |
| b) अन्य बांड / डिब्बेचर | | | | |
| c) विगत वर्ष तक निश्चित जमा पर | - | | | |
| d) निश्चित जमा-चालू वर्ष पर | - | | | |
| 2. लाभांशः | | | | |
| a) शेयरों पर | | | | |
| b) म्यूचुअल फंड सिक्योरिटीज पर | | | | |
| 3. किराए | | | | |
| 4. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | | | |
| कुल | - | - | - | - |
| नामांकित / अंतरण कार्यों के लिए हस्तांतरित | | | | |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,


वित्तीय सलाहकार


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढ़ा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -16 का व्योरा: अधिशुल्क/प्रकाशन से आय

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) (रुपये में) |
|---|---------------------|-------------------------------------|
| | (रुपये में) | |
| 1. रॉयलटी से आय 2. प्रकाशन से आय 3. अन्य (निर्दिष्ट करें) | | |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

रमेश
वित्तीय सलाहकार


निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागांडा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -17 का व्योरा : अर्जित तथा प्राप्त व्याज

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|---|---------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| 1. सावधि जमा पर: | - | - |
| a) अनुसूचित बैंकों के साथ b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ c) संस्थानों के साथ d) अन्य | - | - |
| 2. बचत खातों पर: | - | - |
| a) अनुसूचित बैंकों के साथ b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ c) संस्थानों के साथ d) अन्य | - | - |
| 3. ऋण पर: | - | - |
| a) मुलजिम / कर्मचारी वर्ग | - | - |
| 4. ऑटो स्वीप खाता व्याज | - | - |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२०/१/२०१८

वित्तीय सलाहकार


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -17* का व्योरा : अर्जित व्याज

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|--|---------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| 1. सावधि जमा पर: | - | - |
| a) अनुसूचित बैंकों के साथ b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ c) संस्थानों के साथ d) अन्य - ऑटो स्वीप | - | - |
| 2. बचत खातों पर: | - | - |
| a) अनुसूचित बैंकों के साथ b) गैर-अनुसूचित बैंकों के साथ c) संस्थानों के साथ d) अन्य | - | - |
| 3. ऋण पर: | - | - |
| a) मुलजिम / कर्मचारी वर्ग | - | - |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,


वित्तीय सलाहकार


निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल


अनुसूची -18 का व्यौरा : अन्य आय

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|-------|---------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| | - | - |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२०१८/१९

वित्तीय सलाहकार



निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरामाछा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -18 का व्यौरा : अन्य आय

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|-------|---------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२०१८

वित्तीय सलाहकार

निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढ़ा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -19 का व्योरा : तैयार माल और अर्धनिर्मित उत्पादन के भण्डार में वृद्धि / गिरावट

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|---|---------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| 1. आखरी बचा हुआ माल -तैयार माल -कार्य प्रगति पर है | | |
| 2. कम: प्रारंभिक माल -तैयार माल -कार्य प्रगति पर है -निर्वत्य और उपभोग्य | | |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२०१८
वित्तीय सलाहकार


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाडा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -20 का व्योरा : स्थापना का व्यय

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|--|---------------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| 1. वेतन संकायों को वेतन अन्य भत्ता | 1,054,155.00 24,900.00 | - - |
| 2. चिकित्सा उपचार | - | - |
| 3. पैनसोनरी शुल्क | - | - |
| 4. मजदूरी | - | - |
| 5. पूर्व अवधि व्यय | - | - |
| <u>वर्तमान देयताओं में परिवर्तन</u> - | - | - |
| कुल | 1,079,055.00 | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

रत्नभट्ट
वित्तीय सलाहकार



निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -20* का व्योरा :व्यय का स्थापना

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|--|---------------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| 1. वेतन संकायों को वेतन अन्य भत्ता | 1,054,155.00 24,900.00 | - - |
| 2. चिकित्सा उपचार | - | - |
| 3. पैनसोनरी शुल्क | - | - |
| 4. मजदूरी | - | - |
| 5. पूर्व अवधि व्यय | - | - |
| कुल | 1,079,055.00 | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,


वित्तीय सलाहकार


निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -21 का व्योरा : प्रशासनिक व्यय इत्यादि

| SI No | विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|----------|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| | | (रुपये में) | (रुपये में) | (रुपये में) |
| 1 | कार्यालय का खर्चा बैठक का खर्च ऋण प्रसंस्करण व्यय: समझौते पर स्टाम्प इयूटी बैंक प्रभार | | 2,289.00 1,001,600.00 71.00 | - |
| 2 | घरेलू यात्रा व्यय यात्रा खर्च <u>वर्तमान देयताओं में परिवर्तन</u> | | 116,865.00 | - |
| | विविध लेनदार | - - | - | - |
| | कुल | | 1,120,825.00 | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

वित्तीय सलाहकार

निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाढ़ा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -21* का व्योरा : प्रशासनिक व्यय इत्यादि

| SI No | विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017- 18) |
|----------|---|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| | | (रुपये में) | (रुपये में) | (रुपये में) |
| 1 | कार्यालय का खर्चा बैठक का खर्च ऋण प्रसंस्करण व्यय: समझौते पर स्टाम्प इयूटी बैंक प्रभार | | 2,289.00 1,001,600.00 71.00 | - - |
| 2 | घरेलू यात्रा व्यय यात्रा खर्च | | - 116,865.00 | - |
| | कुल | | 1,120,825.00 | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

रुद्रपाल

वित्तीय सलाहकार

निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाछा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -22 का व्योरा : अनुदान / अनुवृत्ति इत्यादि पे खर्च

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|---|---------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| 1. संस्थानों / संगठनों को दिए जाने वाले अनुदान b) प्राप्त सहायक राशि | - - - | - - - |
| 2. संस्था / संगठन को दिया गया सहायक अनुदान | - | - |
| 3. संस्थानों / संगठनों को दी जाने वाली अनुवृत्ति | - | - |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

वित्तीय सलाहकार


निदेशक


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरागाडा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -22 का व्योरा : अनुदान / अनुवृत्ति इत्यादि पे खर्चा

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|--|---------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| 1. संस्थानों / संगठनों को दिया जाने वाला अनुदान b) प्राप्त सहायक राशि | - | - |
| 2. संस्था / संगठन को दिया गया सहायक अनुदान | - | - |
| 3. संस्थानों / संगठनों को दी जाने वाली अनुवृत्ति | - | - |
| कुल | - | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,


वित्तीय सलाहकार


निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी
बसंतपुर, घोरगाढ़ा, कल्याणी, पश्चिम बंगाल

अनुसूची -23 का व्योरा : व्याज

| विवरण | चालू वर्ष (2018-19) | पिछला वर्ष (2017-18) |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| | (रुपये में) | (रुपये में) |
| a) निश्चित ऋण पर -HEFA ऋण | 3,988,386.00 | - |
| ख) अन्य ऋणों पर (बैंक प्रभार सहित) | - | - |
| ग) अन्य (निर्दिष्ट करें) | - | - |
| कुल | 3,988,386.00 | - |

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

वित्तीय सलाहकार

निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानकल्याणी ।

A. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

अनुसूची -24

1. लेखांकन परिपाटी

इकाई के वित्तीय विवरणों को ऐ तिहासिक लागत परिपाटी के आधार परलेखांकन , मानकों के अनुसार एवं लेखांकन के क्रमिक आधार से तैयार किया गया है।

2. स्थायी संपत्तियाँ

परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में भाड़ा कर एवं अन्य ,शुल्क , आकस्मिक और प्रत्यक्ष व्यय को शामिल करते हुए स्थायी संपत्तियों को शामिल किया गया है। स्थायी संपत्तियोंको अधिग्रहण लागत के मूल्य के साथ पूंजीकृत किया जाता है।

3. सरकारी अनुदान / अनुवृत्ति

केंद्र सरकार की सहायता अनुदान को बोध के आधार पर लेखांकित किया गया है ।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से,

२०/१५/१८
वित्तीय सलाहकार

Rajesh
निदेशक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानकल्याणी

B. आकस्मिक देयताएं एवं हिसाब किताबों पर टिप्पणियाँ

अनुसूची -25

1. आकस्मिक देयताएं

इस संस्था का कोई भी आकस्मिक देयता नहीं है।

2. पूँजीगत प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष के अंत में पूँजीप्रतिबद्धताओं का अनुमानित मूल्य शून्य है।

3. वर्तमान संपत्तिक्रृण , और अग्रिम

प्रबंधन की राय में वर्तमान , परिसंपत्तियोंक्रृणों , और अग्रिमों को प्राप्तिमूल्य पर दिखाया गया है जो वित्तीय विवरणों में दिखाए गए आंकड़े के बराबर हैं।

4. कराधान

आय कर अधिनियम ,1961 के तहत संस्थान की कोई करयोग्य आय नहीं होने के मददेनजर आयकर के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं माना गया है।

5. अवधिक्रृण

हेफा यानी) हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी) से 525.00 करोड़ रुपये तकका एक अवधि क्रृण स्वीकृत किया गया है।जिसमें से 1,32,09,42,832/- रुपये संस्थान को दिए गए हैं।

6. 31 मार्च तक 2019 तुलनपत्र के अभिन्न अंग के रूप में एवं इस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय के साथ अनुसूची संलग्न 25 से 1 हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी की ओर से ,

वित्तीयसलाहकार

निदेशक

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स)
कल्याणी



महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) का कार्यालय
सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (CENTRAL)
SAIFABAD, HYDERABAD - 500 004.

No. DGA(C)/BO-Odisha/CRA-V/SAR.2018-19/AIIMS Kalyani/2020-21/ Date- 28.01.2021

To,
The Secretary,
Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India,
Near Udyog Bhawan Metro Station,
Maulana Azad Road, New Delhi 110011

Sub- Separate Audit Report on the accounts of All India Institute of Medical Science
(AIIMS), Kalyani (West Bengal) for the year 2018-19-reg.

Madam/Sir,

Separate Audit Report on the accounts of All India Institute of Medical Science (AIIMS), Kalyani (West Bengal) for the year 2018-19, Annexure thereof and one copy of Annual Accounts are forwarded herewith for placing before both the House of Parliament.

The dates of presentation of Separate Audit Report in both the Houses of Parliament may please be intimated.

भवदीय,

संलःयथोपरि

Sd/-

महा निदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय)
Director General of Audit (Central)

No. DGA(C)/BO-Odisha/CRA-V/SAR.2018-19/AIIMS Kalyani/2020-21/ ५५३ Date- 28.01.2021

Copy to the Executive Director, AIIMS Kalyani, NH 34 connector, Basantpur, Saguna, Kalyani, Dist-Nadia (West Bengal) along with one copy of Annual Accounts for the year 2019-20 (English version), with a request to furnish the Hindi version of the approved Annual Accounts 2018-19 (2 sets), to Branch Office- Odisha.

संलःयथोपरि

Deputy Director/ CRA

वर्ष 2018-19 के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), कल्याणी के खातों पर नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

हमने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), कल्याणी (संरक्षक संस्थान एम्स, भुवनेश्वर) के 31 मार्च 2019 तक के संलग्न वित्तीय स्थिति विवरण, आय एवं व्यय खाता एवं रसीद और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कर्तव्यों, सेवाओं की शक्ति और शर्तें) अधिनियम, 1971 के धारा 19(2), एम्स अधिनियम, 1956 के धारा 18(2) एवं एम्स संशोधन अधिनियम, 2012 के तहत उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भुगतान खाता का लेखा परीक्षण किया है। ये वित्तीय विवरण संस्थान के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं। हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करना है।

2. इस पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में वर्गीकरण एवं सबसे अच्छा लेखांकन प्रथाओं, लेखा मानकों और प्रकटीकरण मानदंडों, आदि के अनुरूप भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की केवल लेखांकन उपचार पर टिप्पणियाँ शामिल हैं। कानून, नियमों और विनियमों (स्वामित्व और नियमितता) और दक्षता-तथा-प्रदर्शन पहलुओं आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखा परीक्षा अभियुक्तियाँ, यदि कोई हो, निरीक्षण प्रतिवेदन/ नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के माध्यम से अलग से प्रतिवेदित किए जाते हैं।

3. हमने भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया है। इन मानकों के लिए यह आवश्यक है कि हम सामग्री के गलत वर्णन से मुक्त वित्तीय विवरणों के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए योजना बनाएं और लेखा परीक्षण करें। एक लेखा परीक्षा में परीक्षण के आधार पर, वित्तीय वक्तव्यों में मात्रा और प्रकटीकरण का समर्थन करने वाले सबूत शामिल होते हैं। एक लेखा परीक्षा में उपयोग किए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों का आकलन करने के साथ-साथ वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हम मानते हैं कि हमारा लेखा परीक्षण हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर, हम प्रतिवेदन करते हैं कि

- (i) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जो हमारे लेखा परीक्षण के उद्देश्य के लिए हमारे जान और विश्वास के हिसाब से आवश्यक थे।
- (ii) इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए वित्तीय स्थिति विवरण और आय-व्यय खाते एवं रसीद और भुगतान खाते को भारत सरकार के वित मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रारूप में तैयार किया गया है।
- (iii) हमारी राय में, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), कल्याणी द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की उचित लेखा पुस्तकों को बनाए रखा गया है, जहां तक यह ऐसी पुस्तकों की हमारी परीक्षा से प्रतीत होता है।

(iv) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:-

A. आय और व्यय खाता-

A.1 आय

A.1.1 अर्जित ब्याज (अनुसूची -17)

इसमें वर्ष 2018-19 के लिए बचत खाता संख्या 491401001544 पर R.9.06 लाख का उपार्जित ब्याज शामिल नहीं है। इसके परिणाम Rs.9.06 लाख के आय/अधिशेष में न्यूनोक्ति तथा तदनुरूप कायिक/पूँजीगत निधि के रूप में हुआ।

खातों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव

पूर्ववर्ती पैराग्राफों में दी गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों का शुद्ध प्रभाव 9.06 लाख रुपये तक कायिक/पूँजीगत निधि की न्यूनोक्ति और देयताएँ हैं।

B. सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान प्राप्त Rs.27.29 करोड़ की सहायता अनुदान में से, संस्थान ने रु Rs.0.22 करोड़ खर्च किए, जिससे वर्ष के अंत में Rs.27.07 करोड़ की अव्ययित राशि शेष रह गई।

(v). पूर्ववर्ती पैराग्राफ में हमारी टिप्पणियों के अनुसार, हम प्रतिवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए वित्तीय स्थिति विवरण और आय-व्यय खाते एवं रसीद और भुगतान खाते, लेखा खातों की पुस्तकों के साथ सहमत हैं।

(vi) हमारी राय में और हमारी जानकारी के मुताबिक तथा हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण, लेखा नीतियों और लेखा पर टिप्पणी के साथ एक साथ पढ़ा गया है, और ऊपर वर्णित महत्वपूर्ण मामलों और अनुबंध-1 में उल्लिखित अन्य मामलों के अनुसार इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया गया है।

a. अब तक यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), कल्याणी के 31 मार्च 2019 तक मामलों की दशा की वित्तीय स्थिति विवरण से संबंधित है,

b. अब तक यह उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष का अधिशेष के आय एवं व्यय खाता से संबंधित है।

महानिदेशक, लेखा परीक्षण (केन्द्रीय)

अनुबंध - 1

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता: आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं किया गया क्योंकि यह एक नवनिर्मित संस्थान है।
2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता: आंतरिक लेखा परीक्षा नहीं होने की वजह से आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर्याप्त नहीं है।
3. अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन: वर्ष 2018-19 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया क्यूंकि 2018-19 के दौरान कोई भी परिसंपत्तियों की खरीदी नहीं की गई।
4. वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन: वर्ष 2018-19 के लिए वस्तुसूची का भौतिक सत्यापन नहीं किया गया।
5. वैधानिक देय राशि के भुगतान में नियमितता: नियमित रूप से वैधानिक बकाया का भुगतान किया गया था।

उप-निदेशक/ CRA



अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, कल्याणी

NH-34 कनेक्टर, बसंतपुर, सगुना, पो. – घोड़ागाछा , कल्याणी
जिला- नदिया, पश्चिम बंगाल 741245